तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मंजूलता . बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार ओसियां) ( ) सू.अ.अ.अपील सं0 162/2023	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी मंजूलता गर्ग पत्नी स्व. कन्हैयालाल, निवासी ई/36, चौ. हा.बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.02.23. में उसके द्वारा (1) तहसील कार्यालय ओसिया में मार्च 1975 से अक्टूबर 1977 तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य किया गया था मुझे उक्त अवधि का जीए 55 व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार ओसियां) से जरिये पत्रांक 463 दिनांक 08.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से पत्र प्रेषित करना बताया गया, परन्तु भेजे गये पत्र का नम्बर व तारीख का उल्लेख तक नहीं किया गया, न पत्र की फोटो प्रति भेजी गई। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा जीए 55 के बुक नं. व कमांक का उल्मेख नहीं किया जिसमें प्रार्थी द्वारा कोई वेतन आदि की वसूली जमा करवाई गई अपीलार्थीया ने जीए 55 से संबंधित सूचना की पूर्ण विशिष्टियां का उल्लेख नहीं किया गया अतः अपीलार्थीया को भी निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार ओसियां से चाही गई सूचना की विशिष्टियां का पूर्ण उल्लेख कर अवगत करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	